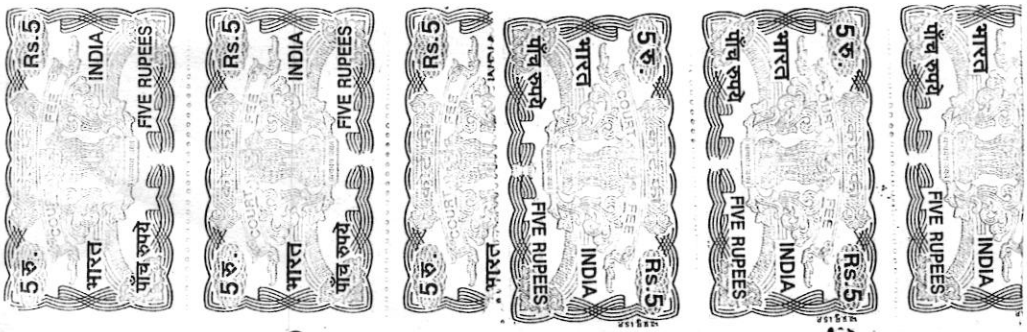

(173)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2015 निगरानी

1. केरन पुत्र श्री गजरात सिंह, उम्र-37 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
2. अनेक सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, उम्र-38 वर्ष,
3. महेश पुत्र श्री भागीरथ, आयु-30 वर्ष,
4. अजुद्दी पुत्र स्व. श्री कुंवरलाल, आयु-65 वर्ष,
5. कोमल सिंह पुत्र श्री कुंवरलाल, आयु-55 वर्ष,
6. शिशुपाल पुत्र श्री बालचन्द, उम्र-38 वर्ष, व्यवसाय-कृषि

समस्त निवासीगण-ग्राम सकवारा, परगना चंदेरी, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

---**आवेदकगण**

बनाम

1. श्रीमती हरकुंअरवाई पत्नी पप्पू अहिरवार, आयु-35 वर्ष,
2. रामकलीवाई पत्नी चऊआ जाति अहिरवार, आयु-45 साल
3. पुतरोवाई पत्नि रामचरण जाति अहिरवार, आयु-60 साल
4. वल्ली वेवा वारेलाल जाति अहिरवार, आयु-60 साल,

सभी का पेशा खेती, सभी निवासीगण-ग्राम सकवारा, तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

---**अनावेदकगण**

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक-05.08.2015 पारित द्वारा तहसीलदार, परगना चन्देरी, प्रकरण क्रमांक-2/अ-70/14-15 पुतरोवाई आदि बनाम अनेक सिंह आदि</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3035–एक/2015 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चन्देरी के प्रकरण कमांक 02/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 05–8–15 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार ग्राम सकवारा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर कब्ज करने के कारण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी करने तथा जबाव मय दस्तावेज के पेश करने के आदेश दिये हैं और पेशी दिनांक 20–8–15 नियत की है। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन प्रकरण कमांक 02/अ–70/14–15 में अंतिम आदेश दिनांक 17–9–15 को हो चुका है। अब इस निगरानी के प्रचलन का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। आवेदक चाहे तो तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तरपर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	